कार्यालय प्रभारी अधिकारी, वाहन चालक भर्ती समिति, 2014
जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर

क्रमांक :– 2014/07 दिनांक :– 14.07.2014

–: विज्ञप्ति :–

बीकानेर जिला न्यायक्षेत्र मे दिनांक 01.12.2014 को रिक्त होने वाले 01 वाहन चालक के पद पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देशानुसार नियमित नियुक्ति की जानी है। इस वाहन चालक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु वाहन चालक के वेतनमान पे–बैण्ड–PB-I 5200-20200 + ग्रेड पे– 2400/– रूपये प्रतिमाह में पात्र उम्मीदवारों से आवेदन–पत्र अधोहस्ताक्षकर्त्ता के कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है। इस पद को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थानान्तरण से या अधिशेष कर्मचारी को समाविष्ट करके भी भरा जा सकता है। रिक्त पद का वेतन राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 11 (7) एफडी (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 व संशोधित आदेश संख्या एफ–14 (1) एफडी (नियम)/2013–II दिनांक 28.06.2013 के तहत परीविक्षा अवधि में 2 वर्ष तक देय समेकित वेतन 7900/– रूपये प्रतिमाह के अन्तर्गत पारितोषिक देय होगा।

वाहन चालक के पद के लिए आवेदन करने वाले आवदेक की निम्नांकित अर्हतांए होना आवश्यक है :–

1. विज्ञापित पद हेतु वांछनीय योग्यतांए :–

अ. आवेदक आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

ब. आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं, विकलांगो, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचरियों एवं अन्य पात्र अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी।

स. आवेदक भारतीय नागरिक हो।

द. आवेदक के पास भारी/हल्के वाहन चलाने का लाईसेंस होना चाहिए तथा वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

2 प्रार्थी को निम्नलिखित अर्हतांए होनी आवश्यक है

अ. आवेदक का वजन 65 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

ब. आवेदक की दृष्टि चश्मे से या बिना चश्मे के 6 बाई 6 होनी चाहिए।

स. आवेदक को मार्ग में वाहन को मरम्मत करने की जानकारी तथा ड्राइविंग में दक्षता होनी चाहिए।

3. आवेदन–पत्र दिनांक 07.08.2014 को सांयकाल 05 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। उपरोक्त अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जायेगा।

साक्षात्कार व ट्रैंड टेस्तु हेतु पात्र आवेदकों की सूची एवं साक्षात्कार व ट्रैड टैस्ट की स्थान की सूचना इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 17.08.2014 को चस्पा की जावेगी। इसकी सूचना पृथक से इस कार्यालय द्वारा किसी आवेदक को प्रेषित नही की जावेगी।

4. साक्षात्कार व ट्रैंड टेस्ट हेतु पात्र आवेदकों का साक्षात्कार एवं ट्रैंड टेस्ट दिनांक 24.08.2014 को प्रातः 11:00 बजे से लिया जावेगा। साक्षात्कार व ट्रैंड टेस्ट के समय पात्र अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र/प्रलेख साथ लेकर उपस्थित आवें। साक्षात्कार व ट्रैंड टेस्ट हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी आवेदक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. शारीरिक योग्यता :–

आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक एवं मानसिक दोष नहीं होना चाहिए, जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

...........लगातार

6. पेंशन योजना एवं स्थाई पारितोषण :–

राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(7) एफ.डी. (रूल्स)/97 दिनांक 14.01.2004 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2004 के बाद नियुक्तिपाने वाले कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सभी नियम लागू होंगे तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमाक एफ. 12(6) एफ.डी. (रूल्स) 05 दिनांक 13.03.2006 के अंतर्गत नियुक्ति योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना मेडिकल अटेन्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि संबंधी सभी नियम लागू होंगे।

7. विवाह पंजीयन :–

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प 7 (3) कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक को आवेदन–पत्र में विवाहित होने की सूरत में पति/पत्नी के नाम का उललेख करना होगा। विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र या विवाह पंजीयन न होने की स्थिति में शपथ–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

शपथ–पत्र

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्री/पुत्र श्री/श्रीमती .... निवासी .... शपथपूर्वक बयान करता/करती हूं कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ सम्पन्न हुआ है परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं .... अविवाहित हूं। विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करूंगा/करूंगी।

या

मैं .... विधुर/विधवा हूं (पत्नी/पति श्री/श्रीमती .... था।

8. जिन आवेदकों को 01.06.2002 या उसके पश्चात् तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं है। अतः समस्त विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदक को इस आशय का घोषणा पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा कि दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

घोषणा–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है तथा विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है।

9. प्रत्येक आवेदक को आवेदन–पत्र के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है तथा उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला किसी न्यायालय में लंबित नहीं है, यदि लम्बित है तो उसका विवरण शपथ–पत्र में अंकित करना होगा।

शपथ–पत्र

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्री/पुत्र श्री/श्रीमती .... निवासी .... शपथपूर्वक बयान करता/करती हूं कि मेरे विरूद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी दाण्डिक प्रकरण लम्बित या संस्थित नहीं है एवं ना ही किसी न्यायालय द्वारा मुझे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है।

...........लगातार

10. कोई भी आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने आपको योग्य घोषित कराने की कोशिश करेगा तो उसे उक्त पद हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

11. आवेदन–पत्र :–

आवेदन प्रक्रियाः– इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी को कार्यालय की वेबसाईट **http://ecourts.gov.in/bikaner** से दिनांक 15.07.2014 से आवेदन–पत्र डाउनलोड कर, समस्त वांछित सुसंगत सूचनांए निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रभारी अधिकारी, वाहन चालक भर्ती समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, स्थायी पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, आरक्षित वर्ग, चालक अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि दिनांक, वाहन चालक का अनुभव (विशिष्टयों सहित) यदि हो तो प्रमाण पत्र का उल्लेख हो। आवेदन के अन्त में दिनांक सहित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं सेवारत हो तो उसका आवेदन में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना–पत्र प्रेषित करे। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उसकी पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी को आवेदन के साथ निम्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी :–

1. कक्षा आठवीं उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र या अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा आरक्षण के पात्र अन्य वर्गों के प्रत्याशियों को जाति संबंधी प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, कि सत्य प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
3. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त मूल चरित्र प्रमाण–पत्र जो आवेदक के रिश्तेदार न हो तथा उक्त प्रमाण पत्र 06 माह से अधिक पुराने न हो।
4. विवाहित होने का प्रमाण–पत्र अथवा नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र जो संलग्न प्रपत्र–06 के अनुसार हो।
5. संतान संबंधी घोषणा पत्र/शपथ–पत्र जो नोटेरी द्वारा प्रमाणित हो।
6. ड्राईविंग लाईसेंस की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न हो।
7. आवेदक सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत करे कि वह वाहन चलाने हेतु शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम है एवं उसकी दृष्टि चश्मे से या बिना चश्मे से 6 बाई 6 है तथा उसका वजन 65 किलोग्राम से अधिक नहीं है।
8. आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम फोटो जो 6 माह से अधिक पुराना न हो चस्पा करना होगा।

s/d
अध्यक्ष/सदस्य
वाहन चालक भर्ती समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर

क्रमांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश ....
4. जिला कलक्टर, बीकानेर।
5. नियोजन कार्यालय, बीकानेर, जिला बीकानेर।
6. इस न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालय ....
7. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा।
8. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली।

अध्यक्ष/सदस्य
वाहन चालक भर्ती समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर